

15⁸/₂₄ पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवेजें लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल नुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली